

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA  
Original Application No.181/2023/EZ  
(Earlier O.A. No.704/2023/PB)

*Suo Moto*: News item titled "Prashashanik ankush ke bad aur tez hua baalu ka avaidh khaman ka khel" appearing in Dainik Bharat dated 02/11/2023.

.....Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution  
Control Board & Ors.


... Respondent(s)

INDEX


Sl.no	Particulars	Page no.
1.	Humble additional Counter Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board.	01-09
2.	Annexure-A: True copy of letter no. 981 dated 08.04.2026 of the Board	10-11
3.	Annexure-B: True copy of letter no. 574 dated 27.04.2026 of the Deputy Commissioner, Bokaro	12-31

Filed by: -

(Surendra Kumar)  
Advocate  
JSPCB, Ranchi



05 MAY 2026



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA**

O. A. No. 181 of 2023 (EZ)  
(Earlier O. A. No. 704/2023/PB)

*Suo Moto*: News item titled "Prashashanik ankush ke bad aur tez hua baalu ka avaidh khanan ka khel" appearing in Dainik Bharat dated 02/11/2023.

.....Applicant(s)


**Versus**

Jharkhand State Pollution  
Control Board & Ors.

... Respondent(s)

Additional Counter Affidavit on behalf of  
Jharkhand State Pollution Control  
Board (Respondent no. 1) in compliance of the  
order dated 22.01.2026

I, Kumar Manibhushan, son of Lavlesh Kumar Shahi presently posted as the Environmental Engineer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and am duly authorized to swear this affidavit and do here by solemnly state and affirm as follows: -



Authorised Under Notaries Act 1952  
& Notaries Rules 1956 Govt. of  
Jharkhand, Ranchi (India)

Ref. No. 130  
Date 05 MAY 2026

1. That, at present, I am working and posted as the Environmental Engineer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.
2. That, I have gone through the order dated 22/01/2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and have understood the contents therein.
3. That, I have been authorized to swear this affidavit by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.
4. That, it is humbly stated and submitted that the Eastern Zone Bench of the Hon'ble National Green Tribunal, Kolkata in its order dated 22/01/2026 was pleased to allow the Jharkhand State Pollution Control Board (Respondent no.1) to file additional response regarding measures required to be taken for preventing illegal mining in the state in compliance with the




05 MAY 2026

Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020. Thereby, the reply is made in succeeding paragraphs.

5. That, it is respectfully submitted that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Government of India (GoI) has published the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 (Herein After referred as "SSMG 2016") for Management of Sand Mining in the Country and also Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (Herein after referred as "EMGSM 2020") for collection of critical information for enforcement of the regulatory provisions that highlights the essential infrastructural requirements necessary for effective monitoring for sustainable sand mining. The following steps are being taken by the Board for implementation of the aforesaid Guidelines for Sand Mining :-

- i) Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) are granted only to those sand mines that have a sand mining lease executed by the State Government and



05 MAY 2026

whose mining plan has been approved (including the approved depth of mining) by the competent authority.

ii) Public Hearing in line with the EIA Notification, 2006 as amended, is conducted by the Board, and the minutes of the public hearing are forwarded to the SEIAA/MoEF&CC (competent authority), as the case may be, for further necessary action.

iii) The occupier is directed not to carry out river sand mining during the rainy season, i.e., from 10th June onwards till 15th October of each year.

iv) That, the project proponent is required to strictly comply with the approved mining plan and all sustainable sand mining practices prescribed therein.

v) In the CTE/CTO conditions, the occupier is directed to ensure that the material is transported in fully covered vehicles and to sprinkle water regularly on haul roads.

vi) The occupier is directed to ensure that mining operations are carried out in a systematic manner in accordance with the approved mining plan.



05 MAY 2026

vii) The occupier is directed to ensure the maintenance of planted trees and shall continue plantation activities, in compliance with the CTE/CTO conditions.

viii) The occupier is directed to ensure the proper removal, stacking, and utilization of topsoil during mining operations. Where concurrent use of topsoil is not feasible, it shall be stored separately for future use in a manner that preserves its biological properties. The stored topsoil shall be utilized/spread in nearby areas strictly in accordance with the approved mining plan.

ix) As per the CTE/CTO conditions, the occupier is directed to ensure the Air pollution and Dust Management strictly in accordance with CPCB guidelines.

6. That, it is further humbly stated & submitted that vide letter ref. no. 981 dated 08/04/2026, the Deputy Commissioner-cum-Chairman, District Mining Task Force, Bokaro has been requested to provide Drone/UAV (Unmanned Aerial Vehicle) imagery showing the amount of sand illegally and actually excavated by the violators, if



05 MAY 2026

available for the Gomia Anchal(Circle) area of Bokaro and constitute a committee to assess environmental damage incurred due to illegal mining.

Photocopy of letter ref. no. 981 dated 08/04/2026 of the Board is annexed and marked as **Annexure-A**.

7. That, in pursuance to the letter ref. no. 981 dated 08/04/2026 of Jharkhand State Pollution Control Board the Deputy Commissioner, Bokaro has provided the Action Taken Report(ATR) vide his office letter/Memo no. 574 dated 27/04/2026. A detailed list with the name of the accused persons and violators involved in the illegal mining of sand and its storage and transportation along with vehicle involved has been provide therein. Further, it is informed that, Drone/UAV(Unmanned Aerial Vehicle) imagery for the requested Gomia Anchal(Circle) area of Bokaro is not currently available with the District Administration in the aforesaid report.



05 MAY 2026

Photocopy of letter/Memo  
no. 574 dated 27/04/2026  
of Deputy Commissioner,  
Bokaro is annexed and  
marked as **Annexure-B**.

8. That, it is humbly stated and submitted that necessary procedure and appropriate action for imposition of Environmental Compensation in accordance with the law is under process.

9. That, The JSPCB submits that it is complying with its statutory mandate and continues to take necessary steps to enforce environmental norms in sand mining activities.

10. That, the instant Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.

11. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.



05 MAY 2026

*For Anwar Manishkumar*

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of ..... April, 2026 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

*Hemas Manishushan*

DEPONENT

*8 of JD by*  
*05/05/2026*  
*EN<sup>o</sup> 3993/05*



**Signature Attested and Identification of Lawyers**

*05 MAY 2026*

*Manishushan*  
*05/05/26*  
**NOTARY PUBLIC, RANCHI**



TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, REC. CIVIL ENGR., BHUMKOPUR  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

NGT Matter

Ranchi, Dated.....

Ref. No.....

From,

Rajeev Lochan Bakshi,  
Member Secretary.

To,

The Deputy Commissioner-cum-Chairman,  
District Mining Task Force, Bokaro

Sub: Compliance of the Order dated 16/04/2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Eastern Zone Bench (EZB), Kolkata, in O A No.181/2023/(EZ), News Item Titled "Prashasnik ankush ke baad aur tez hua balu ke avaidh khaman ka khel" Vs Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.

Sir,

In connection with the captioned subject matter mentioned above. I have to inform that the instant case. Original Application No. 181/2023/EZ was taken up suo moto on the basis of news item appearing in Dainik Bhaskar dated 02/11/2023 by Hon'ble National Green Tribunal. Eastern Zone Bench, Kolkata, wherein it was alleged that illegal sand mining is openly going on in Gomia Anchal (Circle) area of Bokaro district of Jharkhand and everyday hundreds of trucks are transporting the illegally mined sand from the said area without there being any fear of administration. An Affidavit was filed in this case by Jharkhand State Pollution Control Board wherein on the basis of Report of the District Mining Officer, Bokaro, Environmental Compensation was calculated against 9 (Nine) tractor Owners /Violators named in the report The Hon'ble NGT vide Order dated 16/04/2025 opined that it cannot be said that only nine Tractors were engaged in illegal sand mining as it has been going on for a long time Hon'ble Tribunal further directed JSPCB to calculate the amount of actual sand illegally excavated by the violators determined on the basis of Satellite Imagery.

As per Section 4.1.1 of the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020, "as physical survey with conventional methods is time-consuming, the use of unmanned aerial vehicle (UAV) may be explored to carry out the survey and for finalizing the original ground level and developing a 3D model of the area."

It is pertinent to mention that as per the Section 9.2 of the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020, "the environmental damages incurred or resulting due to illegal mining shall be assessed by a Committee constituted by the District Administration, having expertise from relevant fields, and also having independent representation of locals and the State Pollution Control Board."

Further, as per the provisions contained in the Gazette Notification for Jharkhand Mining Rules, 2025 vide No.Kha.Ni.(Vividh)-95/2024-1111/M dated 09.05.2025 issue Department of Mines & Geology, Government of Jharkhand, "the Deputy Commissioner



— ✕ —  
\* extraction of sand takes place from the beds of streams/rivers.

In view of the above, it is therefore, requested to kindly provide Drone/UAV(Unmanned Aerial Vehicle) imagery showing the amount of sand illegally and actually excavated by the violators, if available for the Gomia Anchal(Circle) area of Bokaro and constitute a committee to assess environmental damage incurred due to illegal mining.

Thanking you.

Encl.As above

Yours sincerely,  
Sd/-


(Rajeev Lochan Bakshi)  
Member Secretary.

Dated... 08/04/2026

Memo No... 281

Copy to: The District Mining Officer(DMO), Bokaro for information and necessary action please

Rajeev  
(Rajeev Lochan Bakshi)  
Member Secretary.





**Office of the Deputy Commissioner, Bokaro**

e-mail id: dc\_bokaro@rediffmail.com

Memo. No. 574/M

Bokaro

Dated 27.04.2026

From,

Deputy Commissioner,  
Bokaro

To,

The Member Secretary,  
Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB),  
Township Administration Building, HEC Complex,  
Dhurwa, Ranchi - 834004

Sub:

Regarding compliance of NGT Order in O.A. No. 181/2023/EZ and assessment of illegal sand mining- reg.

Ref:

Your office Memo Number 981 dated 08.04.2026.

Sir,

1. With reference to the above mentioned letter dated 08.4.2026 regarding the compliance of the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 16/04/2025, it is informed that the District Administration is fully committed to curbing illegal mining activities within the district.
2. Regarding your request for the initiation of an inquiry and assessment of environmental damage, your attention is invited to the Environment Protection (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024. As per Rule 3 of these rules, the State Pollution Control Boards, through their authorized officers, are empowered to file a complaint and initiate inquiries regarding contraventions under the Environment (Protection) Act, 1986.

*"3. Complaint. — The Central Pollution Board, State Pollution Control Boards, Pollution Control Committees, Commission for Air Quality Management and Integrated Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in their respective jurisdictions, through their authorized Officers, or any other persons, may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer*




102

— ✕ —  
regarding any contravention committed under sections 7, 8, 9, 10 and 11 of the Act.”

Consequently, the JSPCB is requested to proceed with the necessary inquiry and adjudication as per the procedure laid down in these rules.

3. It is informed that Drone/UAV imagery for the requested area is not currently available with the District Administration. However, all necessary administrative assistance will be provided to the officers of the JSPCB to facilitate their survey and assessment upon request.
4. Furthermore, the District Mining Task Force (DMTF) has been proactively taking stringent steps to curb illegal sand mining in the district. A detailed list of the actions taken by the DMTF is annexed herewith for your records and necessary action.
5. The JSPCB may kindly proceed further in accordance with the aforementioned rules.

  
23/4/26  
जिला खनन पदाधिकारी  
बोकारो

  
25/27/4/26  
Deputy Commissioner,  
Bokaro



जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

गोमिया अंचल अन्तर्गत अप्रैल, 2021 से मार्च 2026 तक बालू खनिज के अवैध  
उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के बावत की गई कार्रवाई का ब्यौरा।


क्र०	अवैधकर्ता का नाम एवं पता	थाना	खनिज	मामला/जप्त सामग्री	अभ्युक्ति
1	Tractor No. – JH09AD-5187	गोमिया थाना	बालू का अवैध परिवहन	70 cft	कार्यालय पत्रांक 2295, दिनांक 16/10/2021 द्वारा प्राथमिकी दर्ज
2	अभियुक्त का नाम-पता का सत्यापन कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।	जगेश्वर बिहार	बालू	यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध बालू चोरी कर अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	थाना काण्ड सं०-18/22, दिनांक 19/07/22
3	वाहन इंजन संख्या-E64349 चैचिस नं०-926514167832 के भालिक का नाम-पता का सत्यापनोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।	गोमिया (तेनु०)	बालू	यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध ट्रैक्टर वाहन से बालू चोरी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	थाना काण्ड सं०-94/22, दिनांक 17/08/22
4	Tractor Eng. No.- 3100EL03C198785, Chesis No.- AZESC1978673, Trolley No.- JH02Q-2414	ललपनिया	बालू	70 घनफीट	ललपनिया ओ०पी० थाना के DR No. 405/022, Dt. 21/09/2022 में सनहा सं०-17/22, दिनांक 20/09/2022 के आलोक में जिला खनन कार्यालय, बोकारो का पत्रांक 1861/एम०, दिनांक 21/09/2022 द्वारा प्राथमिकी दर्ज
5	प्राथमिकी के पाँच अभियुक्त जमानत पर मुक्त हैं। शेष का नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है।	जगेश्वर बिहार	बालू	यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध बालू चोरी कर अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	थाना काण्ड सं०-299/21, दिनांक 16/12/21
6	पावर ट्रैक्टर DS PLUS ALT No. JH09AM-2883, Chesis No. TO53394022DG, Eng. No. E3442904	महुआटॉड़	100 घनफीट	अंचल अधिकारी, गोमिया एवं थाना प्रभारी, महुआटॉड़ द्वारा दिनांक 02/09/2022 को छापामारी के दौरान खनिजों के अवैध परिवहन के बावत पकड़े गये ट्रैक्टर No. JH06G-2985, Eng. No. RGJY03079, Chesis No. 0A5556238 जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू खनिज लोड था को जप्त करते हुए महुआटॉड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं०-30/2022, दिनांक 02/09/2022 है।	



7		रहावन ओ0पी0	100 घनफीट बालू	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 912, दिनांक 25/07/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर रहावन ओ0पी0 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
8	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 06/09/2024	चतरोचट्टी	200 घनफीट बालू	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 06/09/2024 को चतरोचट्टी थानान्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन की जांच के दौरान 02 ट्रैक्टर, जिसपर लगभग 100-100 घनफीट अवैध बालू खनिज लोड था को जप्त कर चतरोचट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-18/24, दिनांक 06/09/2024 है।
9	ट्रैक्टर संख्या-JH11Y-4936	कथारा ओ0पी0	80 घनफीट बालू	दिनांक 24/10/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो, ओ0 पी0 प्रभारी, कथारा ओ0पी0 एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा अवैध रूप से 80 घनफीट बालू का परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर संख्या-JH11Y-4936 को जप्त कर कथारा ओ0पी0 थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-106/24, दिनांक 24/10/2024 है।
10	ट्रैक्टर इंजन संख्या-E3432883, CH. NO.-T053385185BG	गोमिया	100 घनफीट बालू	दिनांक 24/10/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा अवैध रूप से 100 घनफीट बालू का परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर इंजन संख्या-E3432883, CH. NO.-T053385185BG को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-105/24, दिनांक 24/10/2024 है।
11	एम0एम0टी ट्रैक्टर ईजन नं0-42743, Chassis No. 34348, Reg. No. JH09B-4539	आई0ई0एल0	100 घनफीट बालू	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 19/05/2025 को आई0ई0एल0 थानान्तर्गत एम0एम0टी ट्रैक्टर ईजन नं0-42743, Chassis No. 34348, Reg. No. JH09B-4539, जिसपर लगभग 100 घनफीट अवैध बालू खनिज लोड था को जप्त करते हुए आई0ई0एल0 थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं0- 10/2025, दिनांक 19/05/25 है।
12	ट्रैक्टर पावर ट्रेक्टर DS PLUS ALT No. JH09AM-2883, Chassis No. TO53394022DG, Eng. No. E3442904	गोमिया	100 घनफीट बालू	अंचल अधिकारी, गोमिया द्वारा दिनांक 09/10/2025 को औचक छापामारी के दौरान बोकारो नदी पुल के पास खनिजों के अवैध परिवहन के बावत पकड़े गये ट्रैक्टर पावर ट्रेक्टर DS PLUS ALT No. JH09AM-2883, Chassis No. TO53394022DG, Eng. No. E3442904 जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू खनिज लोड था को जप्त करते हुए गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं0-96/2025, दिनांक 09/10/2025 है।
13	ट्रैक्टर संख्या-JH24N-5778, Chassis/Eng. No. MBNCB48NFSTG15558, DB.1105/SHG24691 एवं	महुआटॉड	200 घनफीट बालू	दिनांक 07/11/2025 को अंचल अधिकारी, गोमिया एवं थाना प्रभारी, महुआटॉड द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान तुरी टोला के समीप ट्रैक्टर संख्या-JH24N-5778, Chassis/Eng. No.



	ट्रैक्टर संख्या-JH08D-1434, चेचिस सं०/इंजन सं०-RENW03934, RENW03934			MBNCB48NFSTG15558, DB.1105/SHG24691 एवं ट्रैक्टर संख्या-JH08D- 1434, चेचिस सं०/इंजन सं०-RENW03934, RENW03934, जिसपर लगभग 100-100 घनफीट बालू खनिज लोड थाना को जप्त करते हुए महुआटॉड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है, जिसका थाना काण्ड सं०-41/2025, दिनांक 07/11/2025 है।
14	Mahindra, Model No. - B275 DI MKM DLX, Eng. No. RHJ2DBN9112, Chassis No. MBNABADABHRJ01508	गोमिया	100 घनफीट बालू	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 10/02/2026 को गोमिया थानान्तर्गत गोमिया से ललपनिया जाने वाले रास्ते पर होसिर के समीप अवैध रूप से बालू खनिज का प्रेषण करते हुए एक ट्रैक्टर Mahindra, Model No. - B275 DI MKM DLX, Eng. No. RHJ2DBN9112, Chassis No. MBNABADABHRJ01508, जिसपर लगभग 100 घनफीट अवैध बालू खनिज लोड था को जप्त करते हुए गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं०-19/2026, दिनांक 10/02/26 है।





गोमिया अंचल अन्तर्गत अप्रैल, 2021 से मार्च 2026 तक बालू खनिज के अवैध परिवहन के बावत की गई कार्रवाई की विवरणी।

क्र०	खनिज	थाना का नाम	मात्रा	वाहन	FIR	वसूली	भुगतान की विवरणी	वाहन संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता	अभ्युक्ति
1	बालू	गोमिया	70 cft	01	01	10000/-	GRN-2316044255, दिनांक 02/03/2023	Tractor No. - JH09AD-5187	श्री विभूति नायक, पिता गुलाब चन्द्र नायक, सा0+पो0-चाँदो, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो।	कार्यालय पत्रांक 2295, दिनांक 16/10/2021 द्वारा प्राथमिकी दर्ज। रू० 10000/- GRN-2316044255, दिनांक 02/03/2023 द्वारा भुगतानोपरान्त वाहन विमुक्त।
2	बालू	जगेश्वर विहार	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2108984628, दिनांक 22/12/2021	ट्रैक्टर नं०-3100F1920164331	श्री लक्ष्मण यादव, पिता सुगन यादव, सा0-ढेन्डे, पो0-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो।	रू० 10000/- GRN-2108984628, दिनांक 22/12/2021 द्वारा भुगतानोपरान्त वाहन विमुक्त
3	बालू	चतरोचट्टी	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2106024402, दिनांक 19/06/2021	ट्रैक्टर Eng. No. - PY3029D534082 Chesis no.- IVY5036DEKA0083 21	श्री अशोक साव, पिता काली साव, सा0-जरकुण्डा, पंचायत-वड़की चिदरी, पो0-कोनार डैम, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया के ज्ञापांक 557, दिनांक 16/06/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 16/06/2021 को कैकेया नदी चतरोचट्टी से उक्त वाहन को जप्त किया गया।
4	बालू	चतरोचट्टी	100 cft	01	-	5000/-	GRN-2106027964, दिनांक 19/06/2021	ट्रैक्टर Eng. No. - J1355AP16855 Chesis no.- MBNAJ48AFLTA30 676	श्री गुड्डु साव, पिता बुधु साव, सा0-17 चटकरी, पो0-उचाघाना, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग।	अंचल अधिकारी, गोमिया के ज्ञापांक 556, दिनांक 16/06/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 16/06/2021 को कैकेया नदी चतरोचट्टी से उक्त वाहन को जप्त किया गया।



5	बालू	कथारा ओ०पी०	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2106045626, दिनांक 21/06/2021	ट्रैक्टर Eng. No. - CJ1354/SBH09515 Chesis no.- MBNAJ48AFLTH48 893	श्री महेन्द्र कुमार, पिता धनेश्वर महतो, सा०-चुटे, पो०-चुटे, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, बेरमो के पत्रांक 343, दिनांक 17/06/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 17/06/2021 को अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कथारा मोड़ से बालू लदे उक्त वाहनों को जप्त किया गया।
6	बालू	कथारा ओ०पी०	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2106045463, दिनांक 21/06/2021	ट्रैक्टर सोनालिका-31-35 Eng. No. - 3100FLU14A100664 0F18, Chesis no.- BZISR101194853	श्री अर्जुन रविदास, पिता चरका रविदास, सा०+पो०-पलामू थाना-पेंक नारायणपुर, जिला-बोकारो।	
7	बालू	कथारा ओ०पी०	100 cft	01	-	2000/-	GRN-2106812058, दिनांक 04/08/2021	ट्रैक्टर No. - JH09AJ-4381 (EICHER), Eng. No. J07777, Chassis No. 926213146446	श्री नितेश कुमार यादव, पिता महेन्द्र यादव, सा०-झिरकी, पो०-कथारा, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया के ज्ञापांक 714, दिनांक 28/07/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 28/07/2021 को कथारा ओ०पी० अन्तर्गत 05 नम्बर सैलरी पोन्ड दामोदर नदी स्थित सरहचिया घाट से उक्त वाहन को जप्त किया गया।
8	बालू	कथारा ओ०पी०	100 cft	01	-	50000/-	GRN-2106937506, दिनांक 11/08/2021	ट्रैक्टर No. - JH09AL-6558, Power Track - 434+ES, Chassis no. TO53374467LG, Eng. No. E-342041	मो० तौकिर अंसारी, पिता गुलाम मुस्तफा, सा०-झिरकी, पो०-कथारा, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया के ज्ञापांक 766, दिनांक 08/08/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 08/08/2021 को कथारा ओ०पी० अन्तर्गत महली बांध ठाकुर टोला स्थित फुटला अहरा के पास के सड़क से उक्त वाहन को जप्त किया गया।
9	बालू	कथारा	100 cft	01	-	5000/-	GRN-	ट्रैक्टर No. - JH02C-	श्री अनन्त लाल यादव,	अंचल अधिकारी, गोमिया के



		ओ०पी०					2107301501, दिनांक 02/09/2021	3193, HMT - 3522 Chesis No. - 34900, Eng. - 43681	पिता मोती लाल यादव, सा०-बनासो, पो०+थाना-विष्णुगढ़, हजारीबाग	ज्ञापांक 767, दिनांक 08/08/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 08/08/2021 को कथारा ओ०पी० अन्तर्गत महली बांध ठाकुर टोला स्थित फुटला अहरा के पास के सड़क से उक्त वाहन को जप्त किया गया।
10	बालू	कथारा ओ०पी०	100 cft	01	-	10000/-	GRN- 2105710515, दिनांक 13/05/2021	महेन्द्रा युवो 275DI, Chassis No. MbnsfaebahNK0055 7, Eng. No.- NHK5HAE0085 ट्रैक्टर संख्या- JH09AG-7900	श्री जगदीश यादव, पिता-दुना यादव, सा०-उलगडढ़ा टोला-बरवाडीह, पो०-उलगडढ़ा, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया के ज्ञापांक 415, दिनांक 19/04/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 19/04/2021 को कथारा ओ०पी० अन्तर्गत 05 नम्बर सैलरी पोन्ड दामोदर नदी स्थित सरहचिया घाट से उक्त वाहन को जप्त किया गया।
11	बालू	गोमिया	70 cft	01	-	10000/-	GRN- 2316044255, दिनांक 02/03/2023	ट्रैक्टर सं०- JH09AC-7478, Trolley No.-JH09AD- 5187	श्री विभूति नायक, पिता गुलाब चन्द्र नायक, सा०+पो०-चाँदो, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो।	रु० 10000/- GRN- 2316044255, दिनांक 02/03/2023 द्वारा भुगतानोपरान्त वाहन विमुक्त
12	बालू	गोमिया	80 cft	01	-	बालू	GRN- 2404102179, दिनांक 10/09/2024	महेन्द्रा ट्रैक्टर नं०-JH09AB-2067	श्री सुरेश रविदास पिता स्व० गोवर्धन रविदास, ग्राम-बेलाटाँड़, पो०+थाना-गोमिया, जिला-बोकारो।	थाना प्रभारी, गोमिया थाना ने DR-1369/24, दिनांक 07/09/2024 द्वारा सूचित किया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो के द्वारा दिनांक 07/09/2024 को बालू खनिज के अवैध परिवहन के बावत उक्त वाहनों को जप्त
13	बालू	गोमिया	80 cft	01	-	बालू	GRN- 2404102136, दिनांक	महेन्द्रा ट्रैक्टर नं०-JH09Y-2126	श्री गणेश चौधरी, पिता स्व० लेदो चौधरी, गोमिया चौधरी टोला,	



							10/09/2024		पो+थाना-गोमिया, जिला-बोकारो।	किया गया है।
14	बालू	गोमिया	80 cft	01	-	बालू	GRN- 2404102218, दिनांक 10/09/2024	ALT ट्रैक्टर चेचिस नं०-T053394022D G, Eng. No. E3442904, Reg. No. JH09AM-2883	श्री दासो उराँव, पिता धन्ना उराँव, पता-ग्राम-खम्हरा, मिशन हॉस्पिटल रोड, पो०+थाना-आई०ई०एल०, गोमिया, जिला-बोकारो।	
15	बालू	चतरोचट्टी	100 cft	01	-	10000/-	GRN- 2404973402, दिनांक 11/11/2024	ट्रैक्टर स्वराज 735 FEE R, Eng. No. CJ.1354/PM00927 4, चेचिस नं०-MBNAK48AC PTN22172, Reg. No. JH24L-4892	श्री सुरेश कुमार महतो, पिता लटन महतो, ग्राम-चिलगो, पो०+थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो।	थाना प्रभारी, चतरोचट्टी के ज्ञापांक 1207/2024, दिनांक 24/10/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू खनिज का अवैध उत्खनन कर प्रेषण करते हुए उक्त वाहनों को जप्त कर चतरोचट्टी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।
16	बालू	चतरोचट्टी	100 cft	01	-	10000/-	GRN- 2404973356, दिनांक 11/11/2024	ट्रैक्टर स्वराज 735 FEE R, इंजन नं०-CJ. 1354/MG009187, चेचिस नं०-MBNAJ48AF MTH38281	श्री गेन्दवा महतो उर्फ गंदो महतो, पिता स्व० छत्रु महतो, साकिन-चिलगो, पो०-चतरोचट्टी, कोनार डैम, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो।	
17	बालू	गोमिया	100 cft	01	-	10000/-	GRN- 2404918364, दिनांक 06/11/2024	ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं०-JH01BH-1674, Eng. No. 52152880546 एवं चेचीस नं०-921611763167, Trolley No. BR20G- 6751	श्री बिनोद कुमार प्रजापति, पिता बेनी महतो, साकिन-होसिर, पश्चिमी, पो०-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो।	थाना प्रभारी, गोमिया थाना के DR-1532/24, दिनांक 27/10/24 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 27/10/2024 को खनिजों के अवैध परिवहन के बावत उक्त वाहन को जप्त किया गया है, जिसके बावत रू० 10000/- के राजस्व की वसूली की गई

1-20-1

359



18	बालू	महुआटाँड़	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2404838809, दिनांक 29/10/2024	बिना नम्बर का स्वराज 735 FE कम्पनी के ट्रैक्टर इंजन नं०-CJ1354/SAP 16573, चेचीस नं०-MBNAJ48AFL TA 30607	श्री अजय कुमार पिता महावीर साव, ग्राम-कसियाडीह, पो०-बड़कीपुन्नु, थाना-महुआटाँड़, बोकारो। आधार नं०-461151829808	है।
19	बालू	महुआटाँड़	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2404838859, दिनांक 29/10/2024	महिन्द्रा ट्रैक्टर 275DI, रजिस्ट्रेशन नं०-JH01EU-2746 Eng. No. RNM7EBN0271 चेचीस नं०-MBNTFAEDBNR M00270	श्री राजेश महतो, पिता-प्रभु महतो, सा०-ग्राम-करकट, पो०-टानगर, थाना-चान्हो, जिला-राँची आधार नं०-622506137563	थाना प्रभारी, महुआटाँड़ के ज्ञापांक 641/2024, दिनांक 27/10/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू खनिज का अवैध उत्खनन कर प्रेषण करने के बावत उक्त वाहनों को जप्त करते हुए 20000/- रु० के राजस्व की वसूली की गई है।
20	बालू	कथारा ओ०पी०	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2404853398, दिनांक 30/10/2024	ट्रैक्टर TRAKSTAR - 531 रजिस्ट्रेशन नं०-JH09AR-6056	श्री नितेश कुमार पिता नागेश्वर पटवा, साकिन-पटवा टोला, हजारी बस्ती, पो०-स्वांग, थाना-गोभिया, जिला-बोकारो।	कथारा ओ०पी० का ज्ञापांक 865/24, दिनांक 27/10/2024 एवं ज्ञापांक 871/24, दिनांक 28/10/2024 के आलोक में रु० 10000/- की वसूली की गई है।
21	बालू	महुआटाँड़	100 cft	01	-	10000/-	GRN-2501778925, दिनांक 15/04/2025	ट्रैक्टर इंजन संख्या-39.1354/SZ K10510, चेचिस नं०-MBNAJ46ACJ TL44942	श्री वकील कुमार महतो, पिता स्व० सोमर महतो, ग्राम-पालु, पो०+थाना-महुआटाँड़, जिला-बोकारो।	थाना प्रभारी, महुआटाँड़ के DR-192/25, दिनांक 05/04/25 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 05/04/2025 को महुआटाँड़ थानान्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन की जांच के दौरान को जप्त कर



																		जांच हेतु थाना परिसर में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया है। तत्पश्चात रू0 10,000/- रू0 की वसूली की गई है।
22	बालू	कथारा ओ0पी0	100 cft	01	-	58000/-	GRN-2502263313, दिनांक 13/05/2025	ट्रैक्टर Reg. No. JH24L-9843, Eng. No. CJ.1354/PD003886, Chassis No. MBNAK48ACPTE 01542	श्री उपेन्द्र मुर्मू, पिता मोहन मौंड़ी, मकान सं0-89, ग्राम-नवाडीह (अंगवाली दक्षिणी), डुमरिया, पो0-अंगवाली, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो।	कथारा ओ0पी0 प्रभारी द्वारा दिनांक 24/04/2025 को अवैध परिवहन के बावत पकड़े गये उक्त वाहन को जप्त कर जाँच कार्य पूरी होने तक कथारा ओ0पी0 थाना परिसर में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया है। तत्पश्चात रू0 58,000/- जर्माना के रूप में वसूली की गई।								
23	बालू	गोमिया	100 cft	01	-	10000/-	GRN No-2600628371, Dated 06/02/2026	पावरट्रेक ट्रैक्टर इंजन संख्या-E3846624, चेचिस नं0-TO53736584L P, Reg. No. JH24N-6115	श्रीमती गोदावरी देवी, पति श्री मोहन नायक, ग्राम+पो0-होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो	थाना प्रभारी, गोमिया के ज्ञापांक 156/2026, दिनांक 30/01/2026 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 30/01/2026 को अंचल अधिकारी, गोमिया एवं गोमिया थाना द्वारा संयुक्त रूप से नहर रोड, साइम के पास छापेमारी के दौरान खनिजों के अवैध परिवहन के बावत पकड़े गये, उक्त वाहन को जप्त कर जाँच कार्य पूरी होने तक गोमिया थाना परिसर में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया है।								

— 22 —



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112024-258458  
CG-DL-E-05112024-258458

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4409]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946

No. 4409]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2024

का.आ. 4790(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्- :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण (जांच की पद्धति और शास्ति का अधिरोपण) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं —(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) " अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986) 1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) " न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 15ग के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "रूप" से इन नियमों के साथ संलग्न रूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों को जो इनमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

7143 GI/2024

(1)



७. शिकायत —केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियां, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अपने प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से, अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति, अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 10 और 11 के तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णायक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से प्रपत्र-1 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
4. जांच करना —(1) अधिनियम की धारा 15ग के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र-II में नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (उसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी) क्यों उसके विरुद्ध जांच नहीं होनी चाहिए।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में कथित रूप से किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि एक जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख को पेश होने की अपेक्षा के लिए एक नोटिस जारी करेगा जो नोटिस में तय की जा सकेगी।
- (4) नियत तारीख पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है को ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
- (5) न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को रूप-III के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को भविष्य की तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और ऐसे साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति से साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है और उसे इसके लिए बाध्य कर सकता है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, अपेक्षा या उपस्थित होने से इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के बाद ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।
- (8) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जिसे वह युक्तियुक्त समझता है।
- (9) उप-नियम (8) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और इसमें शास्ति अधिरोपण के कारण सम्मिलित होंगे।
- (10) इस नियम के अधीन जारी किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता और उस व्यक्ति को निःशुल्क आपूर्ति की जाएंगी जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
- (11) न्यायनिर्णायक अधिकारी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।



(12) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच की जाती है, निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील की जाएगी-

(i) उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को परिदान या निविदान द्वारा; अथवा

(ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर भेजकर जहां उसने व्यवसाय किया या अंतिम बार व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया या लाभ के लिए अंतिम बार काम किया हो; अथवा

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे बाहरी दरवाजे या परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर तामील की जा सकती है, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम निवास करने या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से काम करने या लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है।

5. शिकायत का हस्तांतरण -(1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है या यह प्रकट किया जाता है कि उसके पास इन नियमों के अधीन किसी शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह ऐसी शिकायत या जागकारी की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को हस्तांतरित करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला हस्तांतरित किया जाता है, वह उस जांच को उस चरण से आगे बढ़ाएगा जहां पर उसे हस्तांतरित किया जाता है।

6. शास्ति की मात्रा निर्धारण के दौरान विचार किए जाने वाले कारक - न्यायनिर्णायक अधिकारी, शास्ति की मात्रा का न्याय निर्णय करते समय, अधिनियम की धारा 15ग की उपधारा (4) में वर्णित कारक के अतिरिक्त सभी या किन्हीं निम्नलिखित कारकों को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा, अर्थात्:

(क) परियोजना के परिचालन का स्थान;

(ख) परियोजना का आकार चाहे बड़ा, मध्यम या छोटा;

(ग) उद्योग की श्रेणी;

(घ) उल्लंघन या अतिक्रमण का प्रकार जैसे कि,-

(i) अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन संप्रेक्षित पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना काम करना;

(ii) अधिनियम के अधीन निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा उपायों और मानकों का गैर-अनुपालन;

(iii) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना के अंतर्गत दी गई पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन;

(iv) आदेशों या निर्देशों का गैर-अनुपालन;

(ड) अधिनियम के अधीन निर्धारित मानक से भिन्नता या उल्लंघन की मात्रा;

(च) स्वास्थ्य प्रभाव या नुकसान होने की संभावना;

(छ) उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्राप्त अनुचित लाभ या फायदा;

(ज) उल्लंघन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की बनाई गई राशि, जहां भी मात्रात्मक हो;



(झ) उल्लंघन या गैर-अनुपालन को दोहराए जाने की प्रकृति;

(ज) कोई अन्य कारक जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुसंगत माना जाता है।

7. समयबद्धि का विस्तार —न्यायनिर्णायक अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां देरी या कार्य करने में विफलता का उचित कारण है, इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है जिसे वह उचित समझता है।

8. आदेश और शास्तियां —(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन शास्ति के माध्यम से वसूल की गई सभी धनराशियां अधिनियम के 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएंगी।

### रूप 1

#### (नियम 3 देखिए)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक अधिकारी

.....

#### 1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियां: -

(क) नाम:

(ख) डाक पता:

(ग) संपर्क सं.:

(घ) ईमेल (संपर्क हेतु):

#### 2. शिकायत की विशिष्टियां: -

(क) कथित उल्लंघन की तारीख, समय और घटना:

(ख) सभी सुसंगत जानकारी की विशिष्टियों को दर्शाते हुए उल्लंघन का विवरण:


(ग) विवरण के समर्थन में साक्ष्य:

(घ) लागत के व्यौरे सहित क्षति की अनंतिम मात्रा (आर्थिक रूप से)।

मैं/हम....., शिकायतकर्ता .....इसमें यह घोषित करता हूँ कि यहां बताए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं।

#### 3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:

टिप्पण. —जो लागू नहीं है उसे काट दीजिए।



रूप—II

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

सेवा में

-----

-----

-----

कारण बताओ सूचना

विषय: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

तारीख \_\_\_\_\_ को प्रपत्र-1 (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राप्त शिकायत के अनुसार  
 ..... में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986  
 की धारा \_\_\_\_\_ के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है।

2. उपर्युक्त उल्लंघन शास्ति के लिए उत्तरदायी है। अतः, आपको यह बताना होगा कि इस सूचना की तामील के \_\_\_\_\_ दिनों की अवधि के भीतर जुर्माना लगाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन आपके विरुद्ध जांच क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

(कार्यालय का नाम और मोहर)



<p>रूप-III</p> <p>उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना</p> <p>[नियम नियम-का उप 4(5) देखिए]</p>	
<p>सेवा में</p> <p>न्यायनिर्णायक अधिकारी</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
1.	<p>मैं/हम, .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>प्ररूप-1 में की गई शिकायत का प्रतिकथन प्रस्तुत कर रहे हैं</p> <p>जिन आधारों पर प्रतिकथन प्रस्तुत किया गया है वह निम्नानुसार हैं: -</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.	<p>मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ-कोड और/</p> <p>पोस्टल इंडेक्स नंबर राज्य सहित पूरा पता।</p>
3.	<p>उल्लंघनकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि</p> <p>के हस्ताक्षर:</p>
4.	<p>हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और</p> <p>मोबाइल नंबर।</p>

[फा. सं. IA-Z-11013/20/2022-IA-II(IND-I)]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव



## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2024

S.O. 4790(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Environment Protection (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) "adjudicating officer" means an officer appointed under section 15C of the Act;

(c) "form" means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

3. **Complaint.**—The Central Pollution Board, State Pollution Control Boards, Pollution Control Committees, Commission for Air Quality Management and Integrated Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in their respective jurisdictions, through their authorized Officers, or any other persons, may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sections 7, 8, 9, 10 and 11 of the Act.

4. **Holding of Inquiry.**—(1) For the purpose of adjudication under section 15C of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer within thirty days from the date of receipt of the complaint shall, issue a notice in Form-II to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fifteen days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a legal representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised legal representative, the contravention, committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.

(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.

(11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the opposite party.



(12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner,-

- (i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
- (ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
- (iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

5. Transfer of complaint.- (1) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have jurisdiction to entertain any complaint under these rules, he shall transfer the matter to the adjudicating officer concerned within fifteen days of the receipt of such complaint or information made to him after reasons to be recorded in writing.

(2) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him.

6. Factors to be considered while determining quantum of penalty.- The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty shall have due regard to all or any the following factors in addition to factor stated in sub-section (4) of section 15 C of the Act, namely:

- (a) place of operation of project;
- (b) size of the project whether large, medium or Small;
- (c) category of industry;
- (d) type of contravention or violation such as,-
  - (i) working without prior environment clearance as required under the notification number S.O 1533(E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 issued under the Act;
  - (ii) non-compliance of environmental safeguards and standards prescribed under the Act;
  - (iii) violation of conditions of environment clearances granted under the notification referred to in sub-section
  - (iv) non-compliances of orders or directions;
- (e) quantum of deviation or contravention from the standard prescribed under the Act;
- (f) health impacts or loss likely to be caused;
- (g) undue gain or benefit derived out of contravention or non-compliance;
- (h) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention or non-compliance;
- (i) the repetitive nature of the contravention or non-compliance;
- (j) any other factor as may be considered by the adjudicating officer to be relevant for the protection of environment.

7. Extension of time. —The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

8. Order and penalties. —(1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Environment Protection Fund established under 16 of the Act.



FORM-III Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener [See sub-rule (5) of rule 4]	
To Adjudication Officer ..... ..... .....	
1.	I/We, ..... ..... ..... hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I  The grounds in which the counter statement is made are as follows: - ..... .....
2.	Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.
3.	Signature of the contravener or his authorised representative:
4.	Name of the person along with mobile number who has signed.

[F. No. IA-Z-11013/20/2022-IA-II(IND-I)]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

